राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः- एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2016/00327 जयपुर, दिनांकः 15 FEB 2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त राजस्थान,

विषयः-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक (संविदा) के रिक्त पदों पर नियोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग की आईडी संख्या 102003998 दिनांक 08.09.2020 द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 373 एवं लेखा सहायक के 365 रिक्त संविदा पदों को दिनांक 28.02.2021 तक भरने की सहमति प्रदान की गई हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के उक्त पदों की समयावधि दिनांक 28.02.2022 तक बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जा रहे है।

उक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2018 की अनुपालना में राज्य स्तर पर पॉलिसी तैयार कर सक्षम स्तर से पॉलिसी का अनुमोदन भी दिनांक 04.02.2021 को करवा लिया गया हैं। संलग्न परिशिष्ट-1 के कॉलम संख्या 3 एवं 4 में आपके जिले के स्वीकृत पदों की संख्या को दर्शाया गया हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु जिले में उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध भरे हुये पदों को छोडकर शेष रिक्त पदों पर नियोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करने का श्रम करे। इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित करे कि जिले में स्वीकृत पदों से अधिक किसी भी परिस्थिति में कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के पदों को नही भरा जावे।

कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायकों के रिक्त पदों को राज्य स्तर से निम्नानुसार निर्धारित पॉलिसी के अनुसार ही भरा जावेः-

<u>कनिष्ठ तकनीकी सहायक</u>

1. **आयु सीमा :-** न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष
2. **शैक्षणिक योग्यताः-** सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री बी.ई./बी.टेक. डिप्लोमा या कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री बी. ई./बी.टेक
3. **मानदेय :-**13000/- रूपये प्रतिमाह (मूल मानदेय 8000/- रू एवं ग्रामीण भत्ता 3000/- रू. एवं यात्रा भत्ता 2000/- रूपये)
4. विज्ञप्ति राज्य स्तरीय सर्वाधिक प्रसार होने वाले दो हिन्दी समाचार पत्रों में उनके स्थानीय संस्करण में प्रकाशित की जानी हैं।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का फोटो (चस्पा कर) सहित सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी के बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाएं तथा उच्च शिक्षा के प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। मूल दस्तावेज मांगने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ विकलांग/ महिला/ ईडब्ल्यूएस/ एमबीसी आदि अभ्यार्थियों का आरक्षण नियमानुसार लागू होगा एवं आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी। आयु के लिए सैकण्डरी के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार माना जावेगा।

7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त सही आवेदनों में से संविदा के आधार पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा। भर्ती संबंधी किसी भी तरह का विवाद होने पर अंतिम निर्णय जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर का मान्य होगा।

8. चयनित अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा जिला....... .... से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना होगा जिसमें जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंध होगा। कार्मिक को सेवा के दौरान आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में लगाया जा सकता है।

9. संविदा नियोजन पूर्णतया अस्थाई है। संविदा कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर अथवा विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि नहीं बढाए जाने पर नियमानुसार संविदा से पृथक किया जा सकेगा।

10. पदों की संख्या घटाई व बढाई जा सकेगी।

11. राजस्थान में किसी भी योजना से अनियमितता/गबन/पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोपों में ब्लेक लिस्टेड/संविदा पृथक किये गये अभ्यार्थी, आवेदन के योग्य नहीं माने जायेंगे, चयनित अभ्यार्थी को अनुबंध के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

12. एक वर्ष की सेवा अवधि संतोषजनक होने पर उसके अनुबन्ध अवधि बढाने की स्थिति में मूल मानदेय पर 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।

13. अभ्यर्थी का मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ होना आवश्यक होगा (जिसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।)

14. चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है जो निम्नानुसार दिये जावेंगे :-

<u>कनिष्ठ तकनीकी सहायक के चयन का आधार</u>

शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 80 अंक)	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में तकनीकी कार्य का अनुभव (अधिकतम 10 अंक)	जिले के स्थानीय निवासी को (10 अंक)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री/कृषि अभियांत्रिकी में बीटेक या बीई में प्रतिशत प्राप्तांक का 80 प्रतिशत अंक तथा सिविल अभियांत्रिकी डिप्लोमा में प्रतिशत प्राप्तांक का 60 प्रतिशत अंक	1. एक वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के-2 अंक 2. दो वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के-4 अंक 3. तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के-6 अंक 4. चार वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के-8 अंक 5. पांच वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के-10 अंक अधिकतम	जिले के स्थानीय निवासी को 10 अंक

15. जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

16. अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक योग्यता में अर्जित अंकों, कार्य अनुभव एवं जिले के स्थानीय निवासी को आधार मानकर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

17. संविदा पदों पर भर्ती वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के अनुसार की जानी हैं। साथ ही संविदा पर भर्ती करने के सम्बन्ध में वित्त (नियम) विभाग एवं वित्त (जी एण्ड टी) विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेशों की पालना की जानी हैं।

<u>लेखा सहायक</u>

1. **आयु सीमा :-** न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष

2. **शैक्षणिक योग्यता:-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से बी.कॉम/ सी.ए. इन्टरमिडियेट (आईपीसी)/आई.सी. डब्ल्यू.ए.(इन्टर)/ कम्पनी सैकेट्री (इन्टर)

3. **मानदेय :**–8000/– रूपये प्रतिमाह

4. विज्ञप्ति राज्य स्तरीय सर्वाधिक प्रसार होने वाले दो हिन्दी समाचार पत्रों में उनके स्थानीय संस्करण में प्रकाशित की जानी हैं।

5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का फोटो (चस्पा कर) सहित सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी के बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाएं तथा उच्च शिक्षा के प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। मूल दस्तावेज मांगने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

6. अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ विकलांग/ महिला/ ईडब्ल्यूएस/ एमबीसी आदि अभ्यार्थियों का आरक्षण नियमानुसार लागू होगा एवं आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी। आयु के लिए सैकण्डरी के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार माना जावेगा।

7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त सही आवेदनों में से संविदा के आधार पर लेखा सहायक का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा। भर्ती संबंधी किसी भी तरह का विवाद होने पर अंतिम निर्णय जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर का मान्य होगा।

8. चयनित अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा जिला....... .... से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना होगा जिसमें जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंध होगा। कार्मिक को सेवा के दौरान आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में लगाया जा सकता है।

9. संविदा नियोजन पूर्णतया अस्थाई है। संविदा कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर अथवा विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि नहीं बढाए जाने पर नियमानुसार संविदा से पृथक किया जा सकेगा।

10. पदों की संख्या घटाई व बढाई जा सकेगी।

11. राजस्थान में किसी भी योजना से अनियमितता/गबन/पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोपों में ब्लेक लिस्टेड/संविदा पृथक किये गये अभ्यार्थी आवेदन के योग्य नहीं माने जायेंगे। चयनित अभ्यार्थी को अनुबंध के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

12. एक वर्ष की सेवा अवधि संतोषजनक होने पर उसके अनुबन्ध अवधि बढाने की स्थिति में मूल मानदेय पर 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।

13. अभ्यर्थी का मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ होना आवश्यक होगा (जिसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।)

14. चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है जो निम्नानुसार दिये जावेंगे :–

<u>लेखा सहायक के चयन का आधार</u>

शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 80 अंक)	राजस्थान सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय में लेखा कार्य का अनुभव (अधिकतम 10 अंक)	जिले के स्थानीय निवासी को (10 अंक)
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से बी.कॉम/ सी.ए. इन्टरमिडियेट (आईपीसी)/ आई.सी.डब्ल्यू.ए.(इन्टर)/कम्पनी सैकेट्री (इन्टर)	1. एक वर्ष पूर्ण होने पर अनुभवके–2 अंक 2. दो वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के–4 अंक 3. तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के–6 अंक 4. चार वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के–8 अंक 5. पांच वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के–10 अंक अधिकतम	जिले के स्थानीय निवासी को 10 अंक

15. जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

16. अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक योग्यता में अर्जित अंकों, कार्य अनुभव एवं जिले के स्थानीय निवासी को आधार मानकर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

17. संविदा पदों पर भर्ती वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के अनुसार की जानी हैं। साथ ही संविदा पर भर्ती करने के सम्बन्ध में वित्त (नियम) विभाग एवं वित्त (जी एण्ड टी) विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेशों की पालना की जानी हैं।

उपरोक्त निर्धारित पॉलिसी वित्त विभाग की अन्तर्विभागीय टीप क्रमांक 102005414 दिनांक 06.01.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई हैं।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(पी.सी. किशन)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास
एवं आयुक्त,ईजीएस

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
7. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली

शासन सचिव, ग्रामीण विकास
एवं आयुक्त,ईजीएस

परिशिष्ट–1

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के स्वीकृत पदों का जिलेवार विवरण

क्र.सं	जिले का नाम	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	लेखा सहायक
1	अजमेर	44	35
2	अलवर	78	61
3	बासवाडा	188	39
4	बारां	43	28
5	बाडमेर	149	46
6	भरतपुर	61	46
7	भीलवाडा	76	49
8	बीकानेर	61	28
9	बून्दी	32	23
10	चित्तौडगढ	52	40
11	चूरू	44	31
12	दौसा	37	27
13	धौलपुर	26	19
14	डूगरपुर	130	29
15	गंगानगर	53	40
16	हनुमानगढ	41	32
17	जयपुर	81	62
18	जैसलमेर	36	16
19	जालौर	49	34
20	झालावाड	68	31
21	झुझुनूं	48	37
22	जोधपुर	56	44
23	करौली	37	27
24	कोटा	36	21
25	नागौर	76	57
26	पाली	70	42
27	राजसमंद	34	27
28	स. माधोपुर	38	25
29	सीकर	54	41
30	सिरोही	28	20
31	टोंक	41	29
32	उदयपुर	154	60
33	प्रतापगढ	40	20
Total		**2061**	**1166**